राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

निर्णय दिनांक :

मुकदमा नं. :– 57 / 2023

हवासिंह बनाम मोतीसिंह वगैo

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) राo काo अधिनियम 1955

1. हवा सिंह पुत्र श्री पेमाराम
2. होशियार सिंह पुत्र पेमाराम
3. सुमित्रा पत्नी विद्याधर
4. प्रदीप पुत्र विद्याधर
5. जगमाल सिंह पुत्र सुखदेवाराम

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम उदावास, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज)

आवेदकगण

बनाम

1. मोती सिंह पुत्र नन्दाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उदावास, तहसील व झुन्झुनू (राज) (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधिगण
2. चावली पत्नी भागूराम,
3. महावीर पुत्र भागूराम,
4. अतुल पुत्र सुरजाराम
5. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम
6. औंकारसिंह पुत्र नाथाराम
7. चन्द्रप्रकाश पुत्र नाथाराम
8. जयप्रकाश पुत्र नाथाराम
9. दिनेश पुत्र सुरजाराम
10. पन्नाबाई पत्नी नाथाराम
11. परमेश्वरी पुत्री नाथाराम
12. बिमला पुत्री नाथासम
13. महेन्द्र सिंह पुत्र नाथाराम
14. रामनिवास पुत्र नाधाराम
15. रामप्यारी देवी पत्नी सुरुजाराम
16. रामेश्वर पुत्र हनुमान
17. सुभाष पुत्र सुरजाराम
18. सुमन पुत्री नाथाराम
19. छोटी देवी पत्नी महावीर

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

20. भागीरथ पुत्र अर्जुन
21. मदनलाल पुत्र अर्जुन
22. विजेन्द्र पुत्र महावीर
23. सुनिता देवी पत्नी विकास कुमार
24. मंगलचन्द पुत्र कुम्भाराम
25. अनिता पत्नी रामनिवास
26. मंजू पत्नी सुरेन्द्र
27. विनोद पत्नी राजेन्द्र
28. सुनिता पत्नी सुरेश कुमार

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम उदावास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज)

29. यूको बैंक शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) जरिये शाखा प्रबन्धक
30. झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) जरिये शाखा प्रबन्धक
31. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बाम्बे कॉम्पलेक्स, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) जरिये शाखा प्रबन्धक
32. इलाहबाद बैंक वर्तमान में इण्डियन बैंक शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) जरिये शाखा प्रबन्धक
33. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरू सिंह सर्किल झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
34. भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज)

अनावेदगगण

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 259, 260, 261, 266, 267, 331, 332, 333 कुल किता 8 कुल रकबा 6.26 हैक्टर सरहद मौजा ग्राम उदावास, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है जो आवेदकगण की सहखातेदारी काश्त की जमीन है जिसमें आवेदकगण काफी वर्षो से कुआं व मकानात बनाकर आबाद है।

जमीन हाल खसरा नम्बर 244/1018, 251, 252, 256 कुल किता 4 कुल रकबा 1.30 हैक्टर सरहद मौजा ग्राम उदावास, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है जिसका अनावेदक सं 1 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है परन्तु अनावेदक सं 1 की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अनावेदक सं. 1 का नाम दर्ज चला आ रहा है इस कारण अनावेदक स 1 को पक्षकार बनाया गया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 1069/526, 258, 528, 614, 615, 616 कुल किता 6 कुल रकबा 5.36 हैक्टर सरहद मौजा ग्राम उदावास, तहसील व जिला में स्थित है जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक सं 2 व 3 के नाम दर्ज है। जमीन हाल खसरा नम्बर 262, 263, 264, 507, 520 521, 522, 523, 524 कुल किता 9 कुल रकबा 7.77 हेक्टर सरहद मौजा ग्राम उदावास, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक सं. 4 लगायत 18 के नाम दर्ज है। जमीन हाल खसरा नम्बर 265 कुल किता 1 कुल रकबा 1.98 हैक्टर सरहद मौजा ग्राम उदावास,

Scanned with OKEN Scanner

तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक सं. 19 लगायत 23 के नाम दर्ज है तथा जमीन हाल खसरा नम्बर 268 कुल किता 1 कुल रकबा 1.04 हैक्टर सरहद मौजा ग्राम उदावास, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक से 24 के नाम दर्ज है। इसी अनुसार जमीन हाल खसरा नम्बर 269 कुल किता 1 कुल रकबा 2.28 हैक्टर सरहद मौजा ग्राम उदावास, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक सं 25 लगायत 28 के नाम दर्ज है।

भूमि हाल खसरा नं. 252 की पश्चिमी दिशा से हटकर एक कटानी रास्ता उदावास से बाकरा व देवा का बास की तरफ उतर से दक्षिण की ओर जाता है। उक्त रास्ते में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। भूमि खसरा नं. 252 से निकलने वाले कटानी रास्ता से एक प्रचलित पगडंडी भूमि खसरा नं 251 व 256 की दक्षिणी दिशा व भूमि खसरा नं 258 की उतरी दिशा से होती हुई भूमि खसरा नं 258 की पश्चिमी सीमा व भूमि खसरा नं 262 व 263 की पूर्वी सीमा से होती हुई भूमि खसरा नं. 262, 265, 268 व 269 की दक्षिणी सीमा व भूमि खसरा नं 261, 266, 267, 333 की उत्तरी सीमा से सटती हुई गुजरो की ढाणी व अम्बेडकर नगर की तरफ जाती है। जिससे आवेदकगण व आवेदकगण स 1 लगायत 20 अपने पूर्वजों के समय से निर्बाध रूप से आवागमन करते आ रहे है। उक्त प्रचलित पंगडंडी सलग्न नजारी नक्शा में लाल बोटेड लाईन से दर्शित की गई है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का ही एक भाग है।

आवेदकगण को अपने खेतों में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं होने से तथा कृषि कार्य के लिए आने जाने व ऊट गाडी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवेदकगण के खेतों में जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है. ना ही कोई कटानी रास्ता है जिससे आवेदकगण अपने खेतों में काश्त करने के लिए ऊंट गाड़ी व ट्रेक्टर ले जा सके तथा अपने रिहायशी मकानों में आ जा सके। आवेदकगण के खेतों में जाने का किसी प्रकार का रास्ता नहीं होने से आपातकालीन स्थिति में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में आवेदकगण प्रार्थना पत्र की धारा 6 में वर्णित प्रचलित पगडडी से ही आते जाते है जिसको भी मृतक अनावेदक सं. 1 के वारिसान जब चाहे बन्द कर देते है तथा आवेदकगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है व मौके पर उक्त प्रचलित पगडंडी से आवागमन करने पर आवेदकगण के साथ झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो जाते है। इस कारण आवेदकगण प्रार्थना पत्र की धारा 6 में वर्णित अनुसार प्रचलित पगडंडी को राजस्व रिकार्ड में नक्शा शीट में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में 12 फीट चौड़ाई का कटाना चाहते हैं।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक संख्या 1 से 33 की ओर से बावजूद तामील असालतन/वकालतन कोई भी उपस्थित नहीं आया, जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/251(क)/2021/619. दिनांक 01.07.2022 तथा पत्र क्रमांक राजस्व/251(क)/2024/147 दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न समस्त दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकारों/आवेदकगणों को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक अंतर्गत धारा 251 ए डी. एल. सी. दर का दो गुना भुगतान की शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

—: आदेश :—

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/251(क)/2024/147 दिनांक 09.02.2024 के मुताबिक 4 मीटर (12फिट) रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। अनावेदक गण को आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता भूमि बाबत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दोगुनी राशि प्रस्तावित खसरा नम्बरान के खातेदारों को भुगतान करने पर या भुगतान लेने से मना करने पर राशि राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/1/25 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

20/1/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं